क्रम-संख्या–27 (घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 फरवरी, 2025

माघ 24, 1946 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 82 / ग्यारह-2–25-9(47)-17-टी0सी0-273-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश–(340)-2025
लखनऊ, 13 फरवरी 2025

अधिसूचना

प0आ0–29

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1635 / ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश–(69)-2017, दिनांक 2 नवम्बर, 2017, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में ''शब्द और प्रतीक''

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या समान प्रकार की योजना में पूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)'' की समाप्ति के पश्चात् शब्द और प्रतीक ''(ग) उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट'' बढ़ा दिये जायेंगे।

2–यह अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 82/XI-2–25-9(47)-17-T.C.-273-U.P.Act-1-2017-)-Order-(340)-2025, dated February 13, 2025 :

No. 82/XI-2–25-9(47)-17-T.C.-273-U.P.Act-1-2017-Order-(340)-2025

Dated Lucknow, February 13, 2025

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 1 of 2017) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in Notification no. KA.NI.-2-1635/XI-9(47)/17 U.P. Act-1-2017-Order-(69)-2017 dated November 2, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols "(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government", the words and symbols, "(c) food inputs for (a) above." shall be *inserted*.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from January 16, 2025.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 520 राजपत्र–2025–(1343)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 24 सा0 राज्य कर–2025–(1344)–500+500=1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

520 RPH 2025 (Rajya Kar anu-2) (Order no. 340 Data 8E